[2021] 1 एस. सी. आर 264

रागिणी द्विवेदी @गिनी @राग्स

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 62/2021)

21 जनवरी, 2021

**[न्यायाधीश रोहिंटन फाली नरीमन, न्यायाधीश नाविन सिन्हा और न्यायाधीश के. एम. जोसेफ]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.439- एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 37 के प्रावधानों को लागू करते हुए सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया और यह कहते हुए कि सभी अभियुक्तों से कुल जब्ती 12 ग्राम कोकीन, 55 ग्राम गांजा, 11.5 ग्राम परमानंद की गोलियां और 10 ग्राम एम. डी. एम. ए. थी, वर्तमान मामले में अपीलार्थी को कोई जमानत नहीं दी जा सकती-उच्च न्यायालय ने भी जमानत खारिज कर दी-अपील पर अभिनिर्धारित कियाःअपीलार्थी के आवास की तलाशी एक 'बी. के. आर.'द्वारा दिए गए बयान के अनुसार ली गई-अपीलार्थी के परिसर की तलाशी के अनुसार, कोई भी मादक पदार्थ नहीं मिला-अपीलार्थी का पूरा मामला 'बी. के. आर.'द्वारा दिए गए बयान और केस डायरी पर आधारित था और उच्चतम स्तर पर, यह संभवतः कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने कुछ मादक पदार्थों का सेवन किया था-अपीलार्थी को साजिश के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वयं कमजोर पाया, यह कहते हुए कि उक्त आरोप को मुकदमे में साबित करना है-आरोप पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया था।धारा 37 को गलत

तरीके से लागू किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जमानत मिलनी चाहिए-जमानत दी गई-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 -एस. 37. **अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहाःयद्यपि अपीलार्थी पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21,21 (सी), 27 ए, 27 (बी) और 29 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था, प्रथम दृष्टया, यदि कोई अपराध किया गया है, तो यह केवल धारा 27 के तहत हो सकता है, जो पार्टियों में नशीली दवाओं का सेवन करने का अपराध है, जिसके लिए धारा 27 (ए) के तहत कुछ दवाओं के सेवन के लिए अधिकतम सजा एक वर्ष है, और धारा 27 (बी) के तहत छह महीने है।यह मामला होने के कारण, धारा 37 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया था। [पैरा 8,9] [268-बी-सी]**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 62/2021

सी. आर. एल. पी. संख्या 5389/2020 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.11.2020 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साहिल भालैक, तुषार गिरि, सुश्री साक्षी शर्मा, मो. ताहिर, मो. अखिल, आयुष कौशिक, सुश्री अंकिता तिवारी, लक्ष्य मेहता, मयंक जैन, परमात्मा सिंह, मधुर जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, अधिवक्ता।प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

**न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन**

एसएलपी (सी. आर. एल) संख्या 5998/2020

1. अनुमति दी गई।

2. हमने अपीलार्थी (ओं) की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा के साथ-साथ विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को कुछ समय तक सुना है। यह पता चलता है कि अपीलार्थी एक अभिनेत्री है जिसके आवास की तलाशी 03.09.2020 पर एक B.K.Ravishankar द्वारा दिए गए बयान के अनुसार ली गई थी।अपीलार्थी के परिसर की तलाशी से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुईः-

"1. एक काले रंग का सैमसंग नोट 10 मोबाइल फोन।

2. नीले रंग का सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 मोबाइल फोन।

3. सुनहरे रंग का एप्पल मोबाइल फोन।

4. सैंडिस्क पेंड्राइव-32 जीबी

5. सैंडिस्क पेंड्राइव-8 जीबी

6. उस पर एक लकड़ी का डिब्बा लिखा था 'ऑर्गेनिक स्मोक मेन्थॉल फ्री टोबैको'। उसके अंदर, 6 सिगरेट और 3 सिगरेट स्ट्रिप्स हैं।"

3. इसके बाद, श्री के. सी. गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त, एएनडब्ल्यू, सीसीबी, बेंगलुरु, द्वारा 04.09.2020 एक शिकायत दर्ज कराई गई पर, जिसमें निम्नलिखित बयान दिया गया थाः-

"उपरोक्त विषय के संबंध में, मै के. सी. गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त, सी. सी. बी., नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बैंगलोर सिटी के रूप में कार्यरत हैं।

आपसे अनुरोध करना चाहता है कि, मेरे ज्ञात स्रोतों से सत्यापित जानकारी के अनुसार, एक सुव्यवस्थित नेटवर्क अवैध गतिविधियों में शामिल था, वित्तीय लेनदेन किया और विभिन्न राज्यों से ड्रग्स प्राप्त करके अवैध धन अर्जित किया जो गोवा, मुंबई, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और यहां तक कि विदेशों से भी थे और बैंगलोर के

पांच सितारा होटलों, पब, आयोजित नृत्य पार्टी, संगीत कार्यक्रमों, कुछ फार्म हाउसों में उद्योगपतियों, हस्तियों, कुछ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, डीजे, सॉफ्टवेयर कर्मचारियों और अन्य लोगों को आपूर्ति की जो उपरोक्त स्थानों पर पार्टियों में भाग लेते हैं।मैंने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है।जाँच के दौरान बी. के. रविशंकर से उक्त कृत्यों के बारे में जानकारी एकत्र की गई है।उक्त जानकारी में, एक गुप्त योजना के साथ निम्नलिखित व्यक्तियों ने बैंगलोर शहर के विभिन्न हिस्सों में पार्टियों का आयोजन किया है, उपभोक्ताओं को बुलाया गया था और नशीली दवाओं के तस्करों के माध्यम से उन्हें ड्रग्स की आपूर्ति की गई थी और उपभोक्ताओं ने ड्रग्स का सेवन किया था।

1) शिवप्रकाश,2) रागिनी द्विवेदी,3) वीरेन खन्ना,4) प्रशांत रांका,5) वैभव जैन,6) आदित्य अल्वा,7) Lume Pepper @ Simone, Décor City Senegal Country, 8) प्रशांत राजू,9) अश्विन @बूगी,10) अभिस्वामी,11) राहुल टोंसे,12) विनय और अन्य।

उक्त व्यक्ति बैंगलोर शहर के विभिन्न हिस्सों में नृत्य और संगीत पार्टियों का आयोजन कर रहे थे, और पेय के साथ गांजा, एक्स्टेसी पिल्स, कोकीन, एम. डी. एम. ए., एल. एस. डी. आदि जैसी दवाओं की आपूर्ति और सेवन कर रहे थे।दवाओं की आपूर्ति के बारे में पहले भी जानकारी है।

16.06.2019 पर रविशंकर ने अपने मोबाइल के माध्यम से पेडलर लूम पेपर @साइमन के मोबाइल नंबर 6385248582 पर "बहुत अच्छा सामान प्राप्त करें"और एक अन्य संदेश में "2 जी सेलिब्रिटी सामान"के रूप में संदेश भेजा है।

12.04.2020 पर रविशंकर ने पैडलर लूम पेपर @साइमन के मोबाइल नंबर 9902031540 को संदेश भेजा कि "मुझे 1 ग्राम से कम दिया", इसके लिए 13.04.2020 पर 06.50 घंटे (GMT) पर पैडलर ने रविशंकर के मोबाइल नंबर 9880404604 को संदेश भेजा है कि "नो ओ है क्योंकि यह एक रॉक फॉर्म में है इसलिए यह पूर्ण 1 जी है।"

बाद में रविशंकर और उनके दोस्त प्रशांत रांका के बीच निम्नलिखित वॉट्सऐप चैट का आदान-प्रदान होता है 1) पैडलरों को कॉल न करें,2) लंबे समय से ऐसा नहीं है,3) बिग टाइम ट्रैकिंग चल रही है,4) क्या हुआ,5) ओहक्क,6) संदीप पाटिल सर,7) कैसे भाई,8) ओहक्क,9) कल सूत्रों से पता चला,10) बहुत बहुत धन्यवाद,11) ध्यान रखें।इस तरह, कई और वॉट्सऐप संदेश हैं और इन संदेशों में कोड शब्दों का उपयोग किया गया है।इसलिए, N.D.P.S के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।2) रागिनी द्विवेदी,3) वीरेन खन्ना,4) प्रशांत रांका,5) वैभव जैन,6) आदित्य अल्वा,7) Lume Pepper @ Simone, Décor City Senegal Country,8) प्रशांत राजू,9) अश्विन @बूगी,10) अभिस्वामी,11) राहुल टोंसे,12) विनय और अन्य।मैं इसके साथ B.K.Ravishankar द्वारा दिए गए वक्तव्य की एक प्रति और वॉट्सऐप संदेशों की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं।"

4. इस शिकायत के अनुसार, अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह 04.09.2020 से जेल में है।

5. अपीलार्थी द्वारा जमानत के लिए किए गए एक आवेदन पर, अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 28.09.2020 के एक आदेश द्वारा उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को लागू करते हुए और कहा कि सभी अभियुक्तों से कुल जब्ती 12 ग्राम कोकीन, 55 ग्राम गांजा, 8 परमानंद की गोलियां, 11.5 ग्राम परमानंद की गोलियां और 10 ग्राम एमडीएमए थी, वर्तमान मामले में अपीलार्थी को कोई जमानत नहीं दी जा सकी।

6. उच्च न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दिए गए बीके रवी शंकर द्वारा दिए गए बयान, केस डायरी और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित मापदंडों पर भरोसा करते हुए दिनांकित 03.11.2020 के विवादित फैसले द्वारा भी जमानत को खारिज कर दिया।

7. श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा पूरी कार्यवाही के माध्यम से लिया गया, कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैंः-

(i) अपीलार्थी के परिसर की तलाशी के अनुसार, कोई भी मादक पदार्थ नहीं मिला;

(ii) कि अपीलार्थी का पूरा मामला बीके रवी शंकर द्वारा दिए गए बयान और केस डायरी पर आधारित है और उच्चतम स्तर पर, यह संभवतः कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने पक्षों में कुछ दवाओं का सेवन किया था; और

iii) ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपीलार्थी को साजिश के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे स्वयं उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कमजोर पाया कि उक्त आरोप को मुकदमे में साबित करने की आवश्यकता है।यह भी ध्यान दिया जाता है कि आज तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।

8. यद्यपि अपीलार्थी पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 21,21 (सी), 27 ए, 27 (बी) और 29 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है, प्रथम दृष्टया, यदि कोई अपराध किया गया है, तो यह केवल धारा 27 के तहत हो सकता है, जो पार्टियों में मादक पदार्थों का सेवन करने का अपराध है, जिसके लिए धारा 27 (ए) के तहत कुछ मादक पदार्थों के सेवन के लिए अधिकतम सजा एक वर्ष है, और धारा 27 (बी) के तहत छह महीने है।

9. यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 37 द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया था विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा।धारा 37 बैगार् साथ, यह एक ऐसा मामला है जिसमें जमानत होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर देते हैं और निचली अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन अपीलार्थी (रागिनी द्विवेदी @Gini @Rags) को जमानत या कर देते ।

10. इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी का उपयोग जांच में बाधा डालने के लिए नहीं किया जाएगा और जाहिर है, मुकदमे में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है।

एसएलपी (सी. आर. एल) 6185/2020

12. अनुमति दे दी गई।

13. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 5998/2020 में ऊपर दिया गया निर्णय इस मामले में भी लागू होगा।अपीलार्थी (शिवप्रकाश) को अग्रिम जमानत दी जाती है।पुलिस स्टेशन बनासावाड़ी, बेंगलुरु में पंजीकृत अपराध संख्या 588/2018 के संबंध में उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है।

ब्ल्यू पी (सीआरल) 384/2020

14. उपरोक्त मामलों में पारित निर्णय को देखते हुए, यह रिट याचिका निष्फल हो गई है और इस तरह खारिज कर दी गई है।

देविका गुजराल

मामलों और अपीलों का निपटारा।